DrGenius
Academy

DrGenius Academy Welcomes You

Let’s Begin Journey Together
And Achive Dream
Together

Dr Surendra Dhiwa

Educator

(Law | Public administration and management)

(Polity and IR | Audit and Accounting)

धारा 131 → किन मामलो मे वारण्ट जारी किया जा सकता है?

यदि धारा 130 के तहत → मांग का नोटिस तामिल होने 15 दिन के भीतर –

(i) संदाय कर दे

(ii) नगरपालिका का समाधान कर दे कि उक्त राशि का संदाय उसे नहीं करना चाहिए

(iii) धारा 121 के तहत अपील कर दे

DrGenius Academy

वारंट → कुर्की (Attachment)
विक्रय

- जंगम (चल) (movable) → पाँचवी अनुसूची
- स्थावर संपत्ति (अचल) → ऐसा द्रव्य जो नगरपालिका द्वारा विहित किया जाए।

वारण्ट जारी कौन करेगा ? → EO | CEO

किसको जारी करेगा → इसी नगरपालिका के क्षेत्र में

→ इसी नगरपालिका → EO

नगरपालिका क्षेत्र के बाहर → तहसीलदार

→ तीन वर्ष के भीतर-2 ही वारंट जारी होगा। ★

धारा 132 → वारंट का निष्पादन करने के लिए बलपूर्वक प्रवेश →

साधारणतया प्रवेश करने में असफल होने पर सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच खिड़की/दरवाजा तोड़कर प्रवेश विधिपूर्ण होगा।

महिला के संबंधित स्थान होने पर → 3 घंटे का नोटिस (टट जाने हेतु)

धारा 133 → वारण्ट निष्पादित करने की रीति →

(1) कुर्की निम्न वस्तुओं की नही की जा सकती –

- → व्यतिक्रमी (defaulter), उसकी पत्नी, बच्चे → पहनने के कपड़े, बिस्तर
- → भोजन पकाने के बर्तन
- → शिल्पियों के औजार
- → कृषक → खेती के उपकरण, बीज, उर्वरक

[जीविकोपार्जन से संबंधित ×]

(2) कुर्क की गई जंगम संपत्ति, वारंट के अधीन वसूलीय रकम के निकटतम अनुपात में होगी।

(3) जंगम संपत्ति कुर्क करने पर ⇒ सर्वप्रथम सूची बनाएगा
↓
कुर्की पूर्ण कर अनुसूची के प्रारूप में नोटिस देना अनिवार्य

(5) स्थावर संपत्ति के मामले में →

कुर्की → हेतु → आदेश जारी किया जाता है
(व्यतिक्रमी को संपत्ति के अंतरण या प्रभारित करने से रोकने हेतु)

↓

सहज दृश्य स्थान पर चिपकाया जाता है।

धारा 134 → कुर्क की गई संपत्ति का विशेष मामलों में विक्रय →

↓

- → Natural decay (क्षयशील)
- → खर्च, बकाया से अधिक होने पर

DrGenius Academy

धारा 135 → नगर पालिका क्षेत्र के बाहर कुर्की तथा विक्रय →

धारा 136 → उन व्यक्तियों के विरुद्ध संक्षिप्त कार्यवाही जो नगरपालिका छोड़ने ही वाले हो →

धारा 137 → व्यावृत्तियां (Savings) →

धारा 138 → रसीद *

धारा 139 → बाढ़ लाने के लिए अनुकल्पी शक्ति (alternative power)

धारा 140 → हरो के लिए रुचि, भवन का दायित्व

अध्याय 11

नगरीय विकास और नगर योजना

⇓

धारा = 159 से

धारा 159 → नागरिक सर्वेक्षण (Civic Survey) तथा मास्टर विकास योजना व अन्य योजनाएँ तैयार करना →

उद्देश्य → नियोजित तथा समेकित विकास भूमि के संतुलित उपयोग हेतु

समन्वय → महानगर योजना समिति
जिला योजना समिति
मुख्य नगर नियोजक

- मास्टर डेवलपमेन्ट प्लान - बीस वर्ष हेतु
- निष्पादन योजना - 5 वर्ष हेतु
  (Execution plan)
- वार्षिक नगरपालिका कार्य योजना - 1 वर्ष हेतु

धारा 110 → योजना तैयार करने तथा उनकी मंजूरी के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया →

प्रारूप → उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु जनता के समक्ष

↓

नोटिस के रूप में जारी करते हैं।

आक्षेपों, सुझावों को ध्यान में रखकर

→ नगरपालिका सलाहकार समिति का निर्माण

करती है →

सलाहकार समिति –

(i) नगरपालिका के सदस्य (समस्त)

(ii) उद्योग, वाणिज्य तथा व्यापार संघों के प्रतिनिधि

(iii) शैक्षणिक संस्थाओं के 6 व्यक्ति

(iv) NGO से 6 प्रतिनिधि

(v) नगर के मान्य 6 प्रमुख नागरिक

⇓

सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार के बाद अनुमोदन हेतु राज्य सरकार के पास भेजेगी।

धारा 161 → योजना के प्रवर्तन की तारीख →

[नोटिस प्रकाशन की तारीख से]

[निरीक्षण हेतु]

धारा 162 → योजना का पश्चातवर्ती उपांतरण ⟹ (Subsequent Modification)

राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ⊗

धारा 163 → योजना का क्रियान्वयन →

(योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात)

धारा 164 → इस अधिनियम के पूर्व तैयार की गई योजनाएं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई समझी जाएंगी।

धारा 165 → योजना का पुनरीक्षण (Review) →

योजना के प्रवर्तन से 10 वर्ष के भीतर

→ राज्य सरकार → नगरपालिका को निर्देश दे सकती है

या

नगरपालिका - स्वप्रेरणा से भी कर सकेगी।

धारा 115 → विकास क्षेत्रों की घोषणा →

नगरपालिका, राज्य सरकार के अनुमोदन से तथा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नगर में किसी भी क्षेत्र को विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगी।

प्रभाव → नगरपालिका की अनुज्ञा के बिना किसी भी भूमि का उपयोग आरंभ / परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

THANK YOU

For Join Our Session

+91-9636280355

www.drgenius.academy.com